न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट ललावण्डी)

पीठासीन अधिकारी : श्री संजय शर्मा आरएएस
मुकदमा नं0 1/225/12

निर्णय दिनांक : 20.06.2016

उनवान

1. नत्थी पुत्र चिरंजी जाति बलाई,
2. दोलती पुत्री हीरा पत्नी नत्थी जाति बलाई निवासी ग्राम पूठी तहसील रामगढ जिला अलवर।

..............................वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय, अलवर।
2. राजस्थान राज्य जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, रामगढ जिला अलवर।

............असल प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

<u>निर्णय</u>

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र धारा 88, 89 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया है
कि आराजी हाल खसरा नम्बर 970 मिन रकबा 0.87, 446 रकबा 0.42, 976 रकबा 0.82, 983
रकबा 0.93 हैक्ट0 वाके ग्राम पूठी तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है। आराजी खसरा
नम्बर 970 रकबा 0.87 में से हमारा 37/87 हिस्सा है इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 446
रकबा 0.42 में हम वादीगण का 17/42 हिस्सा है, ख0 नं0 976 व 983 कुल रकबा 1.80 हैक्ट0
में हम वादीगण का 1/2–1/2 भाग है और इसी प्रकार हम उपरोक्त विवादित आराजी में
अपने–अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। और आज भी मौके पर हमारा
कब्जा है और उक्त आराजी की वसियत वादनी संख्या 2 की माता के हक में दिनांक 20.06.
1968 को कराई है और तब ही से हम वादीगण का इस उपरोक्त हिस्से की आराजी पर कब्जा
है और हम वादीगण के अलावा किसी दीगर शख्स का हक व हिस्सा विवादित आराजी में नही
है। विवादित आराजी वादी के नाम माजरा सिक्मी दर्ज है इस कारण विवादित आराजी से
वादीगण को बेदखल करना चाहते है। जबकि उक्त आराजी पर हम अरसे दराज से काबिज है।
और सन् 68 में वसियत के जर्ये प्राप्त हुई है। तभी से लेकर आज तक मै विवादित आराजी पर
काबिज हूँ।

अतः प्रार्थना है कि डिक्री बाबत इस्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सादिर फरमाई जाकर यह करार दिया जावे कि वादीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 970 रकबा 0.87 में से 37/87 हिस्सा है इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 446 रकबा 0.42 में हम वादीगण का 17/42 हिस्सा है, ख0 नं0 976 व 983 कुल रकबा 1.80 हैक्ट0 में हम वादीगण का 1/2–1/2 भाग है, वाके ग्राम पूठी तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित के काबिज काश्तकार है वो इसी प्रकार समस्त राजस्व रिकार्ड में अपने नाम का अंकन बहैसियत काबिज काश्तकार खतेदार के घोषित कराने का अधिकारी है। और माजरा सिकमी का जो गलत इन्द्राज हो रहा है उसे कलमजन कराने का अधिकारी है।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत ललावण्डी में दिनांक 20.06.2016 को पेश हुई। प्रतिवादीगण (पैरोकार सरकार) ने राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होकर जवाब इस आश्य का प्रस्तुत किया कि वादीगण उनके नाम के सम्मुख अंकित शब्द " माजरा शिकमी " को कलमजन कराकर खातेदार दर्ज कराना चाहते है। वादीगण को उक्त आराजी मूल काश्तकार भूरिया पुत्र नानगा से प्राप्त हुई है। जो सम्वत 2014 में मु0 6 साल दर्ज है। तत्पश्चात जमाबन्दी सम्वत 2029 में हीरा बेवा भूरिया बलाई साल 22 मारफत नत्थू पुत्र चिरंजी बलाई सा0 रामगढ साल 14 माजरा शिकमी दर्ज है। तत्पश्चात वर्तमान रिकार्ड में वादीगण का खाता खातेदारी की रदीफ में दर्ज है। तथा मजारा शिकमी इन्द्राज है। इस प्रकार पूर्व में विधिवत् खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हुए है।

राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट में पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं जवाब पैरोकार सरकार का अवलोकन किया। तथा वादीगण को उक्त आराजी मूल काश्तकार भूरिया पुत्र नानगा से प्राप्त हुई है। जो सम्वत 2014 में मु0 6 साल दर्ज है। तत्पश्चात जमाबन्दी सम्वत 2029 में हीरा बेवा भूरिया बलाई साल 22 मारफत नत्थू पुत्र चिरंजी बलाई सा0 रामगढ साल 14 मजरा शिकमी दर्ज है। तत्पश्चात वर्तमान रिकार्ड में वादीगण का खाता खातेदारी की रदीफ में दर्ज है। पत्रावली के अवलोकन तथा नियमों के परिपेक्ष में यह तथ्य प्रकट होता है कि आरटीएक्ट 1955 की धारा 1 की उपधारा 2 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम 1979 के प्रभाव में आने की तारीख से पूर्व वार्षिक राजस्व रजिस्टर में दर्ज

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

दोलती पुत्री हीरा पत्नि नत्थी जाति बलाई निवासी

खुद काश्त काश्तकार (आसामी) या शिकमी आसामी को खातेदारी काश्तकार घोषित किया जा सकता है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

वादीगण का वाद पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं पैरोकार सरकार के जवाब के मुताबिक स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 970 रकबा 0.87 में से 37/87 हिस्सा, आराजी खसरा नम्बर 446 रकबा 0.42 में वादीगण का 17/42 हिस्सा है, ख0 नं0 976 व 983 कुल रकबा 1.80 हैक्ट0 में वादीगण का 1/2–1/2 भाग वाके ग्राम पूठी तहसील रामगढ जिला अलवर के हाल राजस्व रिकार्ड के खाता सं0 62 में साल 34 मजारा, खाता सं0 160 में साल 34 मजारी सिकमी, खाता सं0 161 में साल 34 मजारा सिकमी के इन्द्राज को कलमजन कर उसके स्थान वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करने की कार्यवाही तहसीलदार नियमानुसार सुनिश्चित करे। शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत ललावण्डी में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)